

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 मई 2020 — वैशाख 12, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच(67).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अर्द्धा एवं पाव) रुपये 10/- की दर से “विशेष आबकारी शुल्क” अधिरोपित करता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 02 मई, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 2 मई 2020

क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच(67).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच(67), दिनांक 02-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 2nd May 2020

NOTIFICATION

No. F 3-30/2020/CT(Ex.)/V(67).□ In exercise of the powers conferred under provisio (1) and (2) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government heareby impose a "special excise duty" of Rs. 10/- on Retail Sale Price of each bottle (Quart, Print, Nip) of Country Liquor in order to meet out the funds required for upgradation of infrastructure against expansion of COVID-19 in the rural areas.

2. This notification shall be applicable from 2nd May 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.